निवेश प्रस्तावों को तेजी से स्वीकृति देगा इन्वेस्ट यूपी

- निवेशकों को एनओसी के लिए चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति
- एक सप्ताह में निवेश संबंधी सभी प्रक्रियाएं की जाएंगी पूरी
- इन्वेस्ट यूपी ने छह प्राधिकरणों के लिए तैनात की विशेष टीमें

राब्यू, जागरण● लखनऊ: इन्वेस्ट यूपी ने राज्य में औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों को 24 घंटे के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की है। निवेशकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने के लिए अब विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि रिलेशनशिप मैनेजर उन्हें संबंधित विभागों से एनओसी दिलाने में मदद करेंगे। इसके लिए छह प्रमुख प्राधिकरणों के साथ तालमेल बनाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने विशेष टीमों का गठन किया है।

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए निवेश सारथी पोर्टल पर आने वाले निवेश प्रस्तावों को 30 दिन में स्वीकृति देनी होती है। इसके बाद निवेशकों को निवेश मित्र पोर्टल पर एनओसी के लिए आवेदन करना होता है। इस पोर्टल पर आने वाले प्रस्तावों को 15 से 30 दिन में एनओसी जारी करने की व्यवस्था सरकार ने बनाई है, लेकिन इसका पालन नहीं नहीं हो रहा है। इसके चलते राज्य में निवेश के 550 से ज्यादा प्रस्ताव लंबित हैं।

निवेशकों को सबसे ज्यादा परेशानी एनओसी को लेकर हो रही है। एनओसी के लिए करीब 30 विभागों से प्रस्ताव को मंजूरी दिलानी पड़ती है। इनमें सबसे ज्यादा मामले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औद्योगिक प्राधिकरणों, आवास, ऊर्जा, कृषि, राजस्व, नगर विकास सहित 23 विभागों से संबंधित होते हैं।

इन्वेस्ट यूपी ने पिछले दिनों अलग-अलग क्षेत्र के निवेशकों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव लिए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री के निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद इन्वेस्ट यूपी ने निवेश सारथी पोर्टल पर आने वाले प्रस्तावों को 24 घंटे में स्वीकृति देने की व्यवस्था बनाई है।

साथ ही निवेश मित्र पोर्टल पर आने वाले आवेदन को सभी दस्तावेज पूरे होने पर एक सप्ताह के भीतर एनओसी दिलाने के लिए विशेष टीमों व रिलेशनशिप मैनेजरों की नियुक्ति की है। फिलहाल पहले चरण में कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए छह, लखनऊ विकास प्राधिकरण व ग्रेटर नोएडा के लिए पांच-पांच, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण के लिए चार-चार अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। यह टीम संबंधित प्राधिकरणों से निवेशकों को एनओसी दिलाएगी।